न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 165/21(वाद पत्र)

GCMS No. : 2021/637

अनवान

श्री मन्दिर मुर्ति नरसिंगजी भगवान कानोड जरिये वाद मित्र पुजारी,

1. श्री बालुदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी बैरागी मृतक के बजाय

   1/1 श्री सत्यनारायण पिता स्व. बालुदास जी वैरागी, निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

2. श्री लक्ष्मणदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी वैरागी मृतक के बजाय

   2/1 श्री कालुदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

   2/2 श्री किशनदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

   2/3 श्री गोपालदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता श्री मथुरालाल जी ब्राह्मण चौबीसा तदरामय अध्यक्ष चौबीसा समाज निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

1/1 श्री भुपेन्द्र जोशी पिता हरिचरण जोशी जाति ब्राह्मण वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष।

2. श्री वासुदेव पिता श्री मोड जी मन्दावत चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
3. श्री केशव पिता श्री रामकिशन जी चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
4. श्री मुकेश पिता राधावल्लभ जी पुरोहित निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
5. श्री भुपेन्द्र पिता हरिचरण जी जोशी निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
6. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

..............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक:—31.07.2025

1. वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड ए पटवार कानोड भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर ... परिशिष्ट (क) की भूमि मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंग भगवान कानोड के खातेदारी की ... खाता संख्या 818 पर आराजी न. 1729/2+3 रकबा 1 विघा 15 विश्वा, 1730 रकबा विश्वा आ.चा और आ. न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता– 3 रकबा 2 विघा 3 विश्वा जो मन्दिर मूर्ति श्री नरसिंग जी भगवान स्थान देह के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड अंकित हैं व परिशिष्ट (ख) की आराजी न. 1728 रकबा 17 विश्वा है जो मन्दिर मूर्ति नरसिंग भगवान कानोड के खातेदारी की होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में समस्त ... ब्राह्मणान् साकिन देह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम अंकित हैं। इस भूमि के ... भाग पर एवं आराजी न. 1729 के कुछ भाग पर हमारे धर्मगुरू रामानंद जी महाराज पगलिया स्थापित हैं जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया जा रहा यह कि वादीगण के पिता श्री पुरूषोतमदास वल्द रूगनाथदास वैरागी सा.देह पुजारी ... भगवान की सेवा पूजा करते थे और उक्त आराजीयात पर काश्त उपयोग उपभोग ... थे। श्री पुरूषोतमदास जी की मृत्यु 50 वर्ष पहले हो गयी। पुरूषोतमदास जी जीवनकाल में एवं मृत्युपरान्त वादीगण मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा और कलम नम्बर ... वर्णित आराजीयात पर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में से आराजी न. ... एवं 1729 के मध्य नजरी में वर्णित लाल रंग से चिन्हित वादीगण के पूर्वाधिकारी परिवारजन का दाहसंस्कार धरमनिति परम्परा अनुसार वहां कर वहां पर वैरागी सम्प्रदाय धर्मगुरू श्री रामानन्द जी महाराज का चबुतरा निर्माण कर चबुतरे पर पगलिया जी स्थापित किये जिनकी वादीगण एवं परिवारजन, रिश्तेदार पूजन करते आ रहे है जो हमारा आस्था स्थल हैं। यह कि परिशिष्ट (ख) में वर्णित आराजी न. 1728 में दिनांक 13.01.2014 एवं ... 01.2014 की रात्रि में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने बिना हक अधिकार के वादीगण ... नाजायद नुकसान पहुचाने एवं लाभ अर्जित करने की नीयत से जेसीबी मशीन से ... कर खजुर, नीम, सहित अन्य छोटे मोटे पैड उखाड दिये व जबरन कब्जा कर लिया। ... कि कलम 3 में वर्णित भूमि के हम वादीगण के कब्जे की भूमि है जिसमें हमारी आस्था ठेस पहुचाने के लिए वादीगण के आस्था स्थल धर्मगुरू रामानंद जी महाराज के पगलिया मलवा, मिट्टी, डालने की धमकी दे रहे है कि वादग्रस्त जमीन से प्रार्थीगण पुजारियों बेदखल कर ठाकुर जी को ले जायेगें जब कि प्रार्थीगण की ठाकुर जी की पारि... बन्दोबस्त के अनुसार प्रार्थीगण एक एक वर्ष करते आ रहे हैं ओर इस वर्ष फाल्गुन एकम से वादी बालुदास सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे है एवं ओर इस सेवा ... पेटे भूमि का उपयोग उपभोग कर ... इसमें पैदा होने वाली पैदावार काश्त ... रहे हैं राज्य सरकार ... कोई अनुदान या आर्थि... नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादग्रस्त भूमि श्री नरसिंह जी मन्दिर मे विराजित नादलिंग अवयस्क मुर्ति की है
2 ओर वे इस मन्दिर मुर्ति एवं उनकी भूमि की रक्षा करने में सक्षम नहीं है और वादीगण इस मन्दिर मुर्ति के पुजारी होकर इस मन्दिर में सदीप से सेवा पूजा अर्चना करते चले आ रहे है जिससे इस भूमि, हमारी आस्था स्थल एवं मन्दिर मुर्ति एवं मन्दिर की वादग्रस्त भूमि एवं हमारे आस्था स्थल के साथ जानबुझकर छेडछाड कर रहे है जिससे इस मंदिर की भूमि की एवं हमारे आस्था स्थल के हितो की रक्षार्थ वाद वास्ते कब्जेयापी एव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं। अतः वाद पत्र कलम न. 1 में वर्णित परिशिष्ट (ख) में वर्णित भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाये जाने व परिशिष्ट (क) व (ख) में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

3 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात के परिशिष्ट (क) में अंकित आराजी नम्बर 1729/2+3 रकबा 1 बीघा 15 विश्वा, आराजी नम्बर 1730 रकबा 5 विश्वा एवं आराजी नम्बर 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री नरसिंह जी मन्दिर स्थान देह खुद काश्त के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है तथा परिशिष्ट (ख) में अंकित आराजी नम्बर 1728 रकबा 17 विश्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में समस्त चौबीसा ब्राह्ममणान सा.देंह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम पर खातेदारी हक से अंकित है तथा परिशिष्ठ (क) एवं (ख) की कुलिया आराजीयात श्री नरसिंह जी भगवान स्थान देह के खातेदारी की है एवं नरसिंह जी भगवान के मन्दिर की सेवा पूजा वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राह्मम्णान समाज कानोड द्वारा की जा रही है एवं मदिर का सारा प्रबंधन एवं देखरेख का कार्य भी समस्त चौबीसा ब्राह्मम्णान समाज कानोड द्वारा किया जाता हैं। नरसिंह जी भगवान की वाद पत्र में वर्णित कुलिया आराजीयात पर कब्जा भी समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड का है एवं इस भूमि पर समाज की ओर से ही काश्त की जाती हैं एवं उससे प्राप्त आय को समाज द्वारा भगवान की सेवा-पूजा एवं मन्दिर प्रबंधन व देखरेख पर खर्च किया जाता है। इस वादग्रस्त कुलिया भूमि में वाद मित्र बालुदास उवं लक्ष्मणदास का किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं हें न ही कोई हक, अधिकार, कब्जा इत्यादि है एवं न ही कोई भी पगलिया जी इस भूमि में है, वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा पूरी तरह से गलत हैं।

4. यह कि वादग्रस्त कूलिया कषि भूमि श्री नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की है तथा नरसिंह जी भगवान के मन्दिर की सेवा पूजा वर्तमान [illegible] चौबीसा ब्राह्मम्णान समाज कानोड़ द्वारा किया जाता है, जो करीब [illegible] हैं। समस्त चौबीसा ब्राह्मम्णान समाज कानोड द्वारा [illegible] लक्ष्मणदास के पिता स्व. श्री पुरूषोतमदास को उनके जीवनकाल में भगवान की [illegible], पुजा करने के लिए पुजारी नियुक्त किया गया था, जिससे श्री पुरूषोतमदास भगवान की सेवा, पुजा का कार्य करते थे एवं इसके बदले में वादग्रस्त नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की आराजीयात पर समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा कहे अनुसार फसल उगाते थे एवं ...
बदले में उस फसल को समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वारा श्री पुरु...
को दी जाती थी। श्री पुरूषोतमदास की आज से करीब 50 वर्ष पूर्व मृत्यु हो ...
उसके बाद श्री पुरूषोतमदास के लडकों वाद मित्र ने पुजा की आड में वादग्र...
नरसिंह जी भगवान के खातेदारी की इस भूमि को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया...
अवैध रूप से भूमि को हस्तांतरण करने पर उतारू होने लगे, जिससे करीब पन्द्रह...
श्री चौबीसा ब्राह्मण समाज कानोड द्वारा ही भगवान की सेवा पूजा का कार्य प्रारं...
दिया गया एवं श्री पुरूषोतमदास के लडको ने पूजा का कार्य बंद कर दिया तब से...
दिन तक समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड की देखरेख में ही भगवान...
सेवापूजा का कार्य होता है वादग्रस्त भूमि पर श्री पुरूषोतमदास की मृत्यु के बाद...
लडकों द्वारा भगवान की भूमि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने से करीब पन्द्रह...
से इस भुमि पर काश्त का कार्य भी पुनः समस्त चौबीसा ब्राह्मणान समाज कानोड द्वा...
किया जाता है एवं प्राप्त आय को भगवान की सेवा, पुजा एवं मंदिर के प्रबन्धन पर...
किया जाता हैं तथा करीब पन्द्रह वर्ष से वाद वाद मित्र श्री बालुदास एवं लक्ष्मणदास...
वादग्रस्त भगवान की आराजीयात से कभी कोई संबंध नहीं रहा है न कभी कोई काश्त...
है न कभी उपयोग–उपभोग किया है एवं न ही मन्दिर के पुजारी हैं। पन्द्रह वर्ष से...
मित्र श्री बालुदास एवं लक्ष्मणदास द्वारा कभी भी भगवान की सेवा–पूजा नहीं की गई...
तथा वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार, कब्जा इत्यादि नहीं है। ...
कोई भी चबुतरा व पगल्याजी है। वाद मित्र को यह प्रार्थना पत्र जानने का भी ...
अधिकार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र की इस कलम में इस कलम में अन्य सभी कथन
मिथ्या अंकित किये है, जो गलत होकर अस्वीकार हैं। यह विधिक प्रावधान के अनु...
जहा पर एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति है वहां पर उनके लि...
वाद लाये जाने के लिए न्यायालय की आज्ञा ली जाना आवश्यक है एवं न्यायालय द्वा...
ऐसी आज्ञा प्रदान किये जाने पर उन सभी व्यक्तियों वैयक्तिक तामील कराया जा...
आवश्यक है एवं तामील लोक विज्ञापन द्वारा या न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वा...
निर्देशानुसार कराई जाना आवश्यक है तथा इस वाद में वर्णित भूमि में समस्त चौबी...
ब्राह्मणान समाज कानोड का एक ही हित है एवं चौबीसा ब्राह्मण समाज के कानोड...
250 परिवार है, जिनमें कई सदस्य है, जिससे वाद मित्र द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा ...
की जाना एवं विधि अनुसार तामील कराई जाना आवश्यक है एवं उक्त आज्ञापक प्राव...
की पालना नहीं की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के आगे अध्यक्ष चौबीसा समाज
गलत रूप से अंकित किया है जिससे वाद इसी बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है। ...
वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्र...
है की माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.–3)विभाग राजस्थान जयपुर
आदेश क्रमांक–प–6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनांक 07.12.2009 द्वारा राज्य में ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय विज्ञापति मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पुजा स्थलों के प्रबंधन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने हेतु राय के प्रत्ये तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ही एक स्थायी समिति का गठन किया हुआ है तथा वह निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में वादीगण पुजारी होने के नातें वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत नहीं है तथा उन्हे उक्त समिति में इस प्रकरण को रखना चाहिये। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त कराना फरमावें। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि देवमूर्ति के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः देवस्थान विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था, जो कि नहीं बनाया गया है।

6. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी वाद मित्र पुजारी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मंदिर मूर्ति श्री नरसिंह जी भगवान कानोड अवयस्क होने से प्रतिवादी द्वारा पुजारीयों को बेदखल करने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराये जाने के अधिकारी है।

.... जिम्मे वादी

2. आया वादी वाद मित्र पुजारी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मंदिर मूर्ति श्री नरसिंह जी भगवान कानोड अवयस्क होने से प्रतिवादी द्वारा आराजी न. 1728 पर जबरन कब्जा कर लेने से प्रतिवादी को बेदखल करने के अधिकारी हैं।

.........................जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात श्री नरसिंह जी मंदिर स्थान देह खुद काश्त के नाम पर होने व वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राहमणान समाज कानोड द्वारा मंदिर की सेवा पुजा, प्रबन्धन कार्य किये जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

............जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5

4. आया प्रतिवादी सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर उदयपुर के परिपत्र से राजस्व अभिलेख से विधिवत रूप से पुजारियों के नाम हटाये जाने व पुजा का कार्य समस्त चौबीसा समाज कानोड द्वारा किये जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

..........जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5

5. आया प्रतिवादी माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार के आदेश दिनांक 07.12.2009 द्वारा राज्य में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पुजा स्थलों के समुचित प्रबंधन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने हेतु राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्ष समिति का गठन किया हुआ हैं ऐसी स्थिति में वादीगण पुजारी होने के नातें वाद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

..........जिम्मे प्रतिवादी संख्या 6

6. अनुतोष।

7- प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी शपथ पत्र पीडब्लयू 1 श्री सत्यनाराण पुत्र बालुदास वैरागी, पीडब्ल्यू 2 श्री किशनदास पुत्र लक्षमणदास वैरागी का पेश किया गया तथा बयान कराये। वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, जमाबंदी मेवाड सेटलमेंट प्रदर्श–2, नक्शा जो दावें के साथ संलग्न है प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4, नकल नजरी नक्शा प्रदर्श–5 कराए गए।

8- अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री भूपेन्द्र हरिचरण जोशी, डीडब्ल्यू 2 श्री मुकेश पुत्र राधावल्लभ के पेश किये तथा बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज कि रूप में सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी प्रदर्श–A1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श– A3, संवत् 2050–2053 की जमाबंदी की नकले प्रदर्श– A4, A5, नामान्तरण की नकले प्रदर्श– A6, A7, A8 है, जमाबंदी की नकले संवत् 2039–49 प्रदर्श A9, A10 है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का जवाब प्रदर्श– D1 हैं।

9- प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10- हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस एवं तर्कों पर मनन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1. आया वादी वाद मित्र पुजारी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मंदिर मूर्ति श्री नरसिंह जी भगवान कानोड अवयस्क होने से प्रतिवादी द्वारा पुजारीयों को बेदखल करने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने के अधिकारी है।

उपरोक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्लयू 1 श्री सत्यनाराण पुत्र बालुदास वैरागी, पीडब्ल्यू 2 श्री किशनदास पुत्र लक्ष्मणदास वैरागी का पेश किया गया तथा बयान कराये। वादीगण की औंर से दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, जमाबंदी मेवाड सेटलमेंट प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस नजरी नक्शा जो दावें के साथ संलग्न है प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी प्रदर्श–5 कराए गए। वादीगण द्वारा उक्त वाद वाद पत्र जरिये पेश किया गया है [illegible] है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के पुजारी है तथा प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी न. 172[illegible] रकबा 1 बिघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और आ. न. 1731 रकबा 3 [illegible] कुल किता 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा भूमि से वादीगण को बेदखल करना [illegible] संबंध में जब हम नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 को देखते है तो पाते है कि वादग्[illegible] आराजी नम्बर 1729/2+3 रकबा 1 बिघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और आ. न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा भूमि श्री नरसिंह जी मंदिर स्थान देह खुदकाश्त के नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

से अंकित है तथा दस्तावेज प्रदर्श–5 से पाते है कि वादग्रस्त आराजी न. 1728 समस्त चौबीसा ब्राह्मण सा. देह श्री नरसिंह जी स्थान देह के नाम अंकित हैं। वादीगण द्वारा स्वयं को पुजारी होने का कथन कहा है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के पुजारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2 से पाते है कि जमाबंदी मेवाड़ सेटलमेंट में आराजी न. 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि समस्त ब्राह्मण सा. देह श्री नरसिंह जी स्थान देह तथा शिकमी के रूप में पुरूषोत्तम दास वल्द रूगनाथ दास वैरागी सा. देह अंकित है जिसे वादीगण द्वारा अपना मौरूस बताया है। इस संबंध में जब हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–A6, A7, A8 को देखते है तो पाते हैं कि उक्त नामान्तरण आदेश में मंदिर देव मुर्ति भूमि में पुजारी के नाम जमाबंदी से विलोपित करने के संबंध में आदेश पत्र क्रमांक 2(4)राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 और से शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक/राजस्व/1147/91/4150–63 दिनांक 28.12.1991 के परिपत्र से राजस्व अभिलेख से पुजारीयों के नाम हटाये जाने के निर्देश दिये गये है जिसकी पालना प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–A9, A10 से स्पष्ट है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात में से पुजारीयों के नाम को विलोपित किये जाने का अंकन हैं जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण उक्त वाद के हितबद्ध नहीं है। वादीगण द्वारा उक्त वाद जरिये वाद मित्र के तौर पर पेश किया गया है वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री नरसिंह भगवान मंदिर स्थान देह. खुदकाश्त है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि वादीगण द्वारा उक्त वाद जरिये वाद मित्र के तौर पर पैश किया गया हैं जिसका उनको अधिकार है या नहीं ? इस संबंध में जब दस्तावेज प्रदर्श–D1 को देखते है तो पाते है कि उक्त संबंध में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक –प6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनांक 07.12.2009 द्वारा राज्य में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पुजा स्थलों के प्रबंन्धन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने हेतु राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अध्यक्षता में ही एक स्थायी समिति का गठन किया हुआ है तथा वह निर्णय लेने में सक्षम हैं उक्त आदेश से स्पष्ट है कि धार्मिक पुजा स्थलों प्रबन्धन एवं व्यवस्था करने हेतु समिति का गठन किया हुआ हैं। मंदिर मूर्ति के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार समिति को है। शपथकर्ता पी डब्लू– 1 सत्यनारायण पुत्र बालुदास वैरागी द्वारा अपने बयान में सुनवाई को स्वीकार किया है कि यह कहना सही है के **प्रदर्श–D1 की नकल हमारे वकील साहब को दी जिसको मैने पढ़ा था। यह कहना सही है इसके बाद भी समिति में प्रकरण नहीं रखा।** वादी द्वारा स्वयं को पुजारी हाने का कथन किया है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादीगण उक्त तनकी के माध्यम से यह साबित करने में असफल रहें की वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के पुजारी है तथा किस प्रकार वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात में वादीगण हितबद्ध हैं। अतः उपरोक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध ... जाती हैं।

II. आया वादी वाद मित्र पुजारी वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार मंदिर मूर्ति श्री ... भगवान कानोड़ अवयस्क होने से प्रतिवादी द्वारा आराजी न. 1728 पर जबरन ... लेने से प्रतिवादी को बेदखल करने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। उक्त तनकी ... द्वारा कथन कहा कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी न. 1728 पर जबरन कब्जा क... जिससे प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ... प्रदर्श–5 से स्पष्ट है कि आराजी नं. 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि के खातेदा... चौबीसा ब्राह्मण सा. देह नरसिंह जी स्थान देह के नाम अंकित है। वादीगण ... को वादग्रस्त आराजी का पुजारी होने का कथन कहा हैं जिसके संबंध में वादी... कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2 ... मेवाड सेटलमेंट में आराजी नं. 1728 रकबा 17 बिस्वा में शिकमी के रूप में पुरुषो... वल्द रूगनाथ दास वैरागी सा. देह के नाम अंकित है जिससे वादीगण द्वारा अपना ... बताया है तथा पुरूषोतमदास जी की मृत्यु उपरान्त मंदिर मुर्ति की सेवा पुजा कि... का कथन कहा हैं जिसके संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये ... किन्तु जब हम इस संबंध में दस्तावेज प्रदर्श– A6, A7, A8 को देखते है तो पाते ... पत्र क्रमांक 2(4)राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 ओर से शासन उप सचिव ... (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर उदयपुर के ... क्रमांक/राजस्व/1147/91/4150–63 दिनांक 28.12.1991 के परिपत्र से ... अभिलेख से पुजारीयों के नाम हटाये जाने के निर्देश दिये गये है जिससे स्पष्ट ... वादग्रस्त भूमि में वाद मित्र वादीगण हितबद्ध नहीं है। तनकी संख्या 1 में दर... प्रदर्श–D1 से स्पष्ट किया जा चुका है कि धार्मिक पुजा स्थलों के प्रबन्धन एवं वां... उचित व्यवस्थान करने हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति ... गठन किया हुआ हैं। वह निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसी स्थिति मे कोई अन्य वाद ... करने के अधिकृत नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी न. 1728 वर्तमान राजस्व अभिलेख में ... चौबीसा ब्राह्मण सा.देह श्री नरसिंह जी भगवान स्थान देह के नाम दर्ज रेकर्ड हैं ... संबंध में प्रबन्धन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने के सारे अधिकार समिति को प्राप्त ... प्रतिवादीगण चौबीसा ब्राह्मण समाज से संबंधित है जिसे वादीगण द्वारा प्रतिवादी ... में प्रतिस्थापित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 वर्तमान में चौबीसा ब्राह्मण समाज ... कार्यकारी अध्यक्ष है। वादग्रस्त आराजी न. 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि के खा... समस्त चौबीसा ब्राह्मण सा.देह श्री नरसिंह जी भगवान स्थान देह के नाम अंकित है जो अ... मंदिर मूर्ति है। वादीगण द्वारा स्वयं अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है। **यह कहना सही है कि चौबीसा ब्राह्मण समाज के सामाजिक कार्यक्रम वादग्रस्त जमी... ही होते हैं।"** साथ ही वादीगण द्वारा अपने बयान में इस बात को भी स्पष्ट किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

"अभी इस मंदिर की सेवा पुजा के लिये पुजारी की नियुक्ति कोई नहीं करता है। यह कहना सही है कि मैं भी मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं हुं। 2014 के बाद समस्त चौबीसा ब्राह्मण समाज आया है।" वादीगण के उक्त बयान से स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के पुजारी नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि का प्रबन्धन चौबीसा ब्राह्मण समाज करता है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण उक्त वाद में हितबद्व नहीं है। माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक –प6(17)प्र.सु /अनु 3/2002 दिनांक 07.12.2009 द्वारा धार्मिक पुजा स्थलों के अधिकार एवं प्रबंधन के सारे अधिकार उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को दिये है जो संलग्न आदेश से स्पष्ट हैं। वादीगण द्वारा उक्त वाद जरिये वाद मित्र के तौर पेश किया गया है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त तनकी को साबित करने में वादीगण असफल रहें उपरोक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है

आया प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात श्री नरसिंह जी मंदिर स्थान देह खुद काश्त के नाम पर होने व वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राहमणान समाज कानोड द्वारा मंदिर की सेवा पुजा, प्रबन्धन कार्य किये जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

उपरोक्त तनकी को साबिक करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री भुपेन्द्र पुत्र हरिचरण जोशी, डीडब्ल्यू 2 श्री मुकेश पुत्र राधावल्लभ के पेश किये तथा बयान करवाये गये। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज के रूप में सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी प्रदर्श–A1, A2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श– A3, संवत् 2050–2053 की जमाबंदी की नकले प्रदर्श– A4, A5 है, नामान्तरण की नकले प्रदर्श– A6, A7, A8 है, जमावंदी की नकले संवत् 2039–49 प्रदर्श– A9, A10 हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– A4 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी न. 1728 रकबा 17 विस्वा भूमि समस्त चौंबीसा ब्राह्मण सा. देह श्री नरसिंह भगवान जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकर्ड है। दस्तावेज प्रदर्श– A5 से पाया कि वादग्रस्त आराजी न. 1729/2+3 रकबा 1 विघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और आ. न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता– 3 रकबा 2 विघा 3 विश्वा भूमि श्री नरसिंह मंदिर स्थान देह खुदकाश्त के नाम अंकित है। वादीगण श्री सत्यनारायण पुत्र बालुदास जी वैरागी द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया है कि **अभी इस मंदिर की सेवा पुजा के लिये पुजारी की नियुक्ति कोई नहीं करता है यह कहना सही है कि मैं भी मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं हूं। 2014 के बाद समस्त चौबीसा ब्राह्मण समाज आया है। यह कहना सही** ... **चौबीसा ब्राह्मण के सामाजिक कार्यक्रम वादग्रस्त भूमि पर होते हैं।** वादीगण श्री किशन ... पुत्र लक्ष्मणदास जी वैरागी **द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह कहना** [illegible] **है कि चौबीसा समाज द्वारा जमीन किराये पर दी जाती हैं व किराया लिया जाता** है। वादीगण के उक्त कथनों से प्रतिवादीगण के इस कथन को बल मिलता है कि वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राह्मण समाज कानोड द्वारा मंदिर की सेवा पुजा प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:03:1? IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– A4, A5 से स्पष्ट किया जा चुका है कि वादग्रस्त नरसिंह जी मंदिर स्थान देह के नाम अंकित है। अतः प्रतिवादीगण उक्त साबित करने में सफल रहें। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित है।

IV. आया प्रतिवादी सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला उदयपुर के परिपत्र से राजस्व अभिलेख से विधिवत रूप से पुजारियों के नाम हटा व पुजा का कार्य समस्त चौबीसा समाज कानोड द्वारा किये जाने से वादी का वाद किये जाने योग्य हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। उक्त तनकी को करने के लिये प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श– A6, A7, A8, A9, A10 प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– A6, A7, A8 नामान्तरण की प्रतिया है जिनमें अंकन है कि मंदिर देव भूमि में पुजारी के नाम जमाबंदी से नाम विलोपित करने के आदेश हैं। उक्त आदेश क्रमांक 2(4)राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991 ओर से शासन उप सचिव रा (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर एवं जिला कलक्टर उदयपुर के क्रमांक/राजस्व/1147/91/4150–63 दिनांक 28.12.1991 के परिपत्र से रा अभिलेख से पुजारीयों के नाम हटाये जाने के निर्देश दिये गये है जिसकी पालना दस्ता प्रदर्श– A9, A10 से स्पष्ट है जिसमें वादग्रस्त आराजी न. 1728 रकबा 17 विस्वा भूमि आराजी न. 1729/2+3 रकबा 1 बिघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता– 3 रकबा 2 बिघा 3 विश्वा भूमि में से पुजारीयों नाम विलोपित किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श– A6, A7, A8, A10 से स्पष्ट है कि मंदिर मुर्ति भूमि में पुजारीयों के नाम विलोपित करने के आदेश दि गये है। वादीगण श्री सत्यनारायण पुत्र बालुदास जी वैरागी द्वारा अपने बयान में स्प किया है कि **अभी इस मंदिर की सेवा पुजा के लिये पुजारी की नियुक्ति कोई नहीं क है यह कहना सही है कि में भी मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं हुं। 2014 के बाद स चौबीसा ब्राह्मम्ण समाज आया है।** यह कहना सही है कि **चौबीसा ब्राह्मम्ण के सामाजि कार्यक्रम वादग्रस्त भूमि पर होते हैं।** वादीगण श्री **किशनदास पुत्र लक्ष्मणदास जी वै द्वारा अपने बयान में स्पष्ट किया है कि यह कहना सही है कि चौबीसा समाज द्वारा ज किराये पर दी जाती हैं व किराया लिया जाता हैं।** वादीगण के उक्त कथनों प्रतिवादीगण के इस कथन को बल मिलता है कि वर्तमान में समस्त चौबीसा ब्राह्म समाज कानोड द्वारा मंदिर की सेवा पुजा प्रबन्धन का कार्य किया जाता है। अतः तनकी को साबिक करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है उक्त तनकी प्रतिवादीगण के प निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

V. आया प्रतिवादी माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार के आदेश दिनांक 0 2009 द्वारा राज्य में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराज

मंदिरों/धार्मिक पुजा स्थलों के प्रबंधन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने हेतु राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्ष समिति का गठन किया हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण पुजारी होने के नातें याद प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। उक्त तनकी के संबंध में जब हम दस्तावेज प्रदर्श–D1 को देखते है तो पाते है कि उक्त संबंध में तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा स्पष्ट किया है कि माननीय शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक –प6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनांक 07.12.2009 द्वारा राज्य में स्थित राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों/धार्मिक पुजा स्थलों के प्रबंन्धन एवं वांछनिय उचित व्यवस्था करने हेतु राज्य के प्रत्येक तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी अध्यक्षता में ही एक स्थायी समिति का गठन किया हुआ है तथा वह निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में वादीगण पुजारी होने के नाते वाद प्रस्तुत करने के अधिकृत नहीं है तथा उन्हें उक्त समिति में इस प्रकरण को रखना चाहिये जो संलग्न आदेश से भी स्पष्ट हैं। स्वयं वादीगण सत्यनारायण पुत्र बालुदास वैरागी द्वारा अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि **"यह कहना सही है कि प्रदर्श–D1 की नकल हमारे वकील साहब को दी जिसको मैने पढ़ा था। यह कहना सही है इसके बाद भी समिति में प्रकरण नहीं रखा।"** वादीगण के उक्त कथन से स्पष्ट है कि वादीगण इस बात को भली भांति जानते थे कि धार्मिक स्थलों के प्रबन्धन के संबंधित समिति उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित है जिससे वादीगण को उक्त वाद पेश करने हेतु अधिकृत नहीं है। अतः उक्त उपरोक्त तनकी को साबिक करने में प्रतिवादीगण सफल रहे है उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर यह पाया कि वादीगण द्वारा एक वाद 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर वादग्रस्त आराजी न. 1728 रकबा 17 बिस्वा भूमि एवं आराजी न. 1729/2+3 रकबा 1 बिघा 15 विश्वा, 1730 रकबा 5 विश्वा आ.चा. और आ. न. 1731 रकबा 3 विश्वा कुल किता– 3 रकबा 2 विघा 3 विश्वा भूमि में प्रतिवादीगण को बेदखल करने व स्थाई निषेघाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन. किया। वादीगण द्वारा उक्त वाद में स्वयं को वादग्रस्त आराजीयात का पुजारी होने का कथन कहा। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि वादग्रस्त [illegible] भगवान स्थान देह के खातेदारी की है साथ ही वादग्रस्त आराजीयात प्र[illegible] देखरेख का कार्य समस्त चौबीसा ब्राह्मण कानोड द्वारा करना [illegible] प्रकरण में [illegible] वार विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 द्वारा वादीगण यह [illegible] रहे कि वाद मित्र वादीगण वादग्रस्त भूमि के पुजारी है तथा तनकी संख्या 2 में वादीगण यह साबित करने में असफल रहे कि किस आधार से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के अधिकारी हैं जिससे तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई। तनकी संख्या 3, 4, 5 को प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 16:03:11 IST
Reason: SelfAttested

साबित करने में सफल रहें कि वादग्रस्त भूमि समस्त चौबीसा ब्राहम्ण श्री नरसिंह स्थान देह के नाम अंकित है तथा वादग्रस्त भूमि के वादीगण पुजारी नहीं है। अ... संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से व उनकी संख्या ... प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से वादीगण का वाद अस्वीकार योग्य पा... है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान ... अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा ...

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 165/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/637

अनवान

श्री मन्दिर मुर्ति नरसिंगजी भगवान कानोड जरिये वाद मित्र पुजारी,
1. श्री बालुदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी वैरागी मृतक के बजाय
1/1 श्री सत्यनारायण पिता स्व. बालुदास जी वैरागी, निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
2. श्री लक्ष्मणदास पिता श्री पुरूषोतमदास जी वैरागी मृतक के बजाय
2/1 श्री कालुदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
2/2 श्री किशनदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
2/3 श्री गोपालदास पिता स्व. लक्ष्मणदास वैरागी निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मदनलाल पिता श्री मथुरालाल जी ब्राह्मम्ण चौबीसा तद्समय अध्यक्ष चौबीसा समाज निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
1/1 श्री भुपेन्द्र जोशी पिता हरिचरण जोशी जाति ब्राह्मम्ण वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष।
2. श्री वासुदेव पिता श्री मोड जी मन्दावत चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
3. श्री केशव पिता श्री रामकिशन जी चौबीसा निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
4. श्री मुकेश पिता राधावल्लभ जी पुरोहित निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
5. श्री भुपेन्द्र पिता हरिचरण जी जोशी निवासी ब्रहमपुरी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.
6. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.

............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1.
1. श्री नारायण लाल जाट, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं. : 165/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु [illegible] बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी [illegible] कि:– परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:03:11 IST
Reason: SelfAttested